प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2016

विषय:- आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्पग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्पग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2015 को सम्पन्न हुई बैठक में शिल्पग्राम को नए सिरे से निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा कान्सेप्ट डिजाइन एवं ड्राइंग का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया था। तद्क्रम में राजकीय निर्माण निगम द्वारा रू0 25139.81 लाख का आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया। दिनांक 02 जुलाई, 2015 को ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर शिल्पग्राम परियोजना के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 22647.98 लाख के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए कार्यदायी संस्था को परियोजना के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये तथा विभाग को परियोजना में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों के सन्दर्भ में सक्षमस्तर से अनुमोदन/निर्देश प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी।

2- व्यय वित्त समिति के निर्देश के क्रम में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारम्भिक लागत, विशिष्टियों, स्टेट लेवल व फील्ड लेवल कमेटियों के गठन, बजट प्रबन्धन व उद्योग विभाग की रिक्त भूमि नि:शुल्क प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 04.08.2015 को सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश सं0 118/2015/1894/41-2015-91 यो0/15, दिनांक 11.08.2015 निर्गत किया गया।

3- दिनांक 02.07.2015 को व्यय वित्त समिति की अपेक्षानुसार कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा रू0 29928.29 लाख का डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया गया। उक्त डी0पी0आर0 के परीक्षणोपरान्त व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना की लागत रू0 23185.26

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लाख अनुमोदित करते हुए परियोजना में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के निर्देश दिये गये।

4- व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रस्तावित ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण हेतु तथा व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 23185.26 लाख तथा परियोजनान्तर्गत प्रस्तुत होने वाली उच्च विशिष्टियों पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान किया गया है। तद्क्रम में आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्पग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण हेतु कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों सहित शासनादेश 55/2016/509/41-2016-91 यो0/15, दिनांक 22.04.2015 निर्गत किया गया है।

5- आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्पग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 14.03.2016 को मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन में होने वाला व्यय अवस्थापना निधि से वहन किया जायेगा। उक्त के क्रम में अवस्थापना विकास विभाग द्वारा आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्पग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण हेतु अवस्थापना विकास कोष से रू0 5.00 करोड की धनराशि ऋण के रूप में कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0 217/83-अव0-16-116 (अव0)/12, दिनांक 29.03.2016 निर्गत किया गया।

6- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्पग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 23185.26 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवस्थापना विकास विभाग द्वारा अवस्थापना विकास कोष से रू0 5.00 करोड की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। अत: आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्पग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तावित नई मांग के क्रम में वित्त विभाग द्वारा अनुपूरक मांग के माध्यम से इस कार्य हेतु व्यवस्थित धनराशि रू0 25.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) पूर्व निर्मित पुराने भवनों/स्ट्रक्चर के ध्वस्तीकरण हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5 लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन), उ0प्र0 कार्य नियमावली 1975 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 118/2015/1894/41-2015-91 यो0/15, दिनांक 11 अगस्त, 2015 एवं शासनादेश 55/2016/509/41-2016-91 यो0 /15, दिनांक 22.04.2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त परियोजना जिस रूप में शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है, उसके अनुरूप निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मा0 न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुये आवश्यक कार्य कराये जायेगें।

(4) अनुमोदित परियोजना लागत के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव/निर्देशों का अनिवार्यत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) परियोजना के क्रियान्वयन में पुरातत्व विभाग और पर्यावरणीय क्लियरेन्स प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार वर्णित कार्यमदों-म्यूजियम एक्सपीरियन्स/आर्टीफैक्ट एवं आर्ट इन्सटालेशन, आडियो गाइड सिस्टम, इन्ट्रेक्टिव इन्सटालेशन, कियोस्क, वैरियस आर्टिस्ट इमेज एवं कायनेटिक स्कल्पचर, पी0ए0 सिस्टम, सी0सी0टी0वी0, ए0वी0 सिस्टम, पार्किंग मैनेजमेन्ट सिस्टम, इत्यादि हेतु प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें इन कार्यमदों से सम्बन्धित विभाग यथा संस्कृति एवं इलैक्ट्रॉनिक्स् विभाग द्वारा नामित सदस्य होंगे। यह समिति उक्त कार्यमदों की आवश्यकता व औचित्य एवं लागत का परीक्षण कर स्वयं संस्तुष्ट हो लेगी, जिसके द्वारा इन कार्यमदों हेतु प्रस्तावित लागत जो उक्त कार्यमद हेतु प्रायोजना में प्रस्तावित लागत से अधिक न होगी, की सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी।

(7) उक्त परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्माण की गुणवत्ता एवं अनुरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारण तथा आकलित लागत के अतिरिक्त अन्य सम्भावित मद (यदि कोई हो) के लिये भी व्यवस्था का आंकलन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय, ताकि बाद में वृद्धि का अवसर न रहे।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का सुसंगत व्यय-विवरण की सूचना व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उक्त प्रस्तर-6 में स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुपूरक मांग में व्यवस्थित धनराशि के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-''5452-पर्यटन पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-30-ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव

संख्या-116/2016/1733(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- आयुक्त आगरा मण्डल आगरा।
3- जिलाधिकारी, आगरा
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- निदेशक, म्यूजियम ए0एस0आई0, मुख्यालय, नई दिल्ली।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
8- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
9- राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार नई दिल्ली।
10 उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
11- नगर आयुक्त, आगरा/नगर निगम, आगरा।
12- अधीक्षण, पुरातत्वविद्, ए0एस0आई0 सर्किल आगरा
13- अवस्थापना विकास अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
14- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
15- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
16- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in